

Phone :07564-234729
Email: fmmti-mp@nic.in



Fax 07564-234743
Web site: cfmmtti.dacnet.nic.in

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय कृषि मशीनरीप्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, CO-OPERATION AND FARMERS WELFARE)

ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म०प्र०) 466-445

TRACTOR NAGAR, P.O.BUDNI(M.P) 466445

फा.स.28-23/2016 एफ.डब्ल्यू


दिनांक 22.12.2016

निविदा सूचना

संस्थान के फार्म अनुभाग फार्म अनुभाग में कृषि कार्य खरीब एवं रबी उधानिकी फसलो की देख रेख आदि कार्य एवं गेस्ट हाउस, कार्यालय परिसर, परीक्षण स्कंध, कालोनी पार्क में कार्य पशुओ से पौधो की निगरानी आदि कार्य के लिये स्थानीय ठेकेदारो/दैनिक वेतन भोगी मजदूरो/से 01 जनवरी 2017 से 31.03.2017 तक के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा देने की अंतिम तारीख दिनांक 30.12.2016 शाम 3.30 बजे तक दे सकते है।

कार्य की शर्तें -

1. निविदा दाता को कृषि कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है
2. निविदा दाता द्वारा श्रमिक मानसिक शारीरिक रूप से विकलांक एवं 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।
3. ठेका अवधि समाप्त के बाद ठेकेदार या श्रमिक क और से किसी भी प्रकार का नियुक्ती का दावा पाने का अधिकार नहीं होगा।
4. कार्य के दौरान ठेके पर कार्य करने वाली किसी भी लेबर अप्रित्याशित घटना के लिए निविदा दाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. कार्य आदेश देने के पश्चात सभी कार्य फार्म अनुभाग के दिशा निर्देशन में करना होगा ओर कार्य संतोषजनक होने पर बिल का भुगतान किया जाएगा। सभी कार्य निश्चित समय अवधि में संपन्न करना होगा।
6. यदि निविदा दाता किसी कारण से बीच में कार्य छोड़कर चला जाता है अथवा लापरवाही बरतता है तो उसके कार्य के ठेका को निरस्त कर दिया जाएगा और उसे कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. निविदा में प्रतिश्रमिक, प्रतिदिन रुपये दर सादे कागज पर बंद निविदा दिनांक 30.12.2016 सायं 3.30 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय दे सकते है या पोस्ट द्वारा भेज सकते है जो उक्त तारीख तक मिल जाना चाहिए।
8. कार्य की अन्य शर्तें कार्य आदेश में निहित होगी।
9. प्रति माह रु. 20,000 से अधिक ठेके की राशि होने पर टी.डी.एस. नियमानुसार काटा जायेगा।
10. श्रम संबंधी सभी नियम का पालन स्वयं को करना होगा कार्यालय इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
11. फार्म पर कार्य के दौरान श्रमिको द्वारा सरकारी सम्पत्ति का नुकसान पाया जाने पर ठेकेदार से भरपाई की जाएगी।
12. निदेशक महोदय को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकते है। इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र बुदनी न्यायालय बुदनी जि.सीहोर ही होगा।


(जयवीर सिंह)
सस्यविज्ञानी
कृते निदेशक

वितरण - सभी सूचना पट्ट: कार्या/प्रशि/परी/मुख्यद्वार/कालोनी गेट/मेन बाजार बुदनी / तहसील कार्यालय /नगर पालिका नोटिस बोर्ड इत्यादि।